



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक-24.11.2023

थाना बड़ौत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि में वांछित 25000/- रुपये के इनामी अभियुक्त विपिन भगौटा को बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 03 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.10.2023 को थाना थाना बड़ौत पर वादी मांगेराम पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1- विशाल उर्फ कालू, 2-वैभव पुत्रगण प्रमोद, 3-भूरा उर्फ प्रदुमन पुत्र सरदार सिंह, 4-रामकुमार पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद



बागपत व 5-रामबाबू पुत्र राम सिंह ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत ने एक राय होकर उसके भाई कृष्णपाल पुत्र श्रीचंद की गोली मारकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट:-

उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों 1.मोनू पुत्र नरेन्द्र, 2.विजय उर्फ काशी पुत्र सर्वोत्तम निवासीगण ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत व 3.विपिन भगौटा पुत्र आखेराम निवासी ग्राम हैंवा थाना छपरौली जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि में प्रकाश में आये वांछित 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त को बाद पुलिस

मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 03 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त विपिन भगौटा की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय द्वारा 25000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

उक्त अभियोग में थाना बड़ौत एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्तों 1.वैभव पुत्र प्रमोद, 2.भूरा उर्फ प्रद्युमन पुत्र सरदार सिंह, 3.विजय उर्फ काशी पुत्र सर्वोत्तम निवासीगण ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत व 4. मोनू पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम कलंजरी थाना जानी जनपद मेरठ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विपिन भगौटा पुत्र आखेराम निवासी ग्राम हैंवा थाना छपरौली जनपद बागपत (घायल)

गिरफ्तार अभियुक्त विपिन भगौटा पुत्र आखेराम का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 319/2008 धारा 398/401/307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 355/2008 धारा 110जी थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 49/13 धारा 302 भादवि थाना छपरौली जिला बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 87/13 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 129/13 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 6-मु0अ0सं0 757/18 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दौराला जनपद मेरठ।
- 7-मु0अ0सं0 277/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 8-मु0अ0सं0 453/19 धारा 323/504/506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 9-मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 03 जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार शर्मा थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-निरीक्षक रविन्द्र पलावत प्रभारी एसओजी जनपद बागपत।
- 3-व0उ0नि0 महेन्द्र सिंह चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 572 पुष्पेन्द्र कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 41 अनुज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

- 6-है0का0 447 अरुण कुमार एसओजी बागपत ।
7-है0का0 316 नगेन्द्र कुमार एसओजी बागपत ।
8-है0क0 506 विकास यादव एसओजी बागपत ।
9-का0 634 जहाँगीर पंवार एसओजी बागपत ।
10-का0 25 राजीव चौधरी एसओजी बागपत।
11-चालक है0का0 434 दीपक कुमार एसओजी बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 24.11.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व जनपद मेरठ से चोरी की हुई एक मोटरसाईकिल हीरो सुपर स्प्लैण्डर नं0 UP-15DL-6686 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा ग्राम खट्टा प्रहलादपुर के जंगल में चैकिंग के दौरान मो0सा0 पर सवार युवकों को रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं रुके तथा पुलिस पार्टी पर फायर



करने लगे । थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ से चोरी की हुई एक मोटरसाईकिल हीरो सुपर स्प्लैण्डर नं0 UP-15DL-6686 बरामद हुई हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 177/23 धारा 307/411/414 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- सुहेल पुत्र युनुस निवासी ग्राम खड़ौली थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।
- 2- रहीम पुत्र सिराजुद्दीन निवासी ग्राम खड़ौली थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस ।
- एक मोटरसाईकिल हीरो सुपर स्प्लैण्डर नं0 UP-15DL-6686 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 763/23 धारा 379 भादवि थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ)

गिरफ्तार अभियुक्त सुहेल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 763/23 धारा 379 भादवि थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।
- 2-मु0अ0सं0 403/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।
- 3-मु0अ0सं0 177/23 धारा 307/411/414 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त रहीम का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 763/23 धारा 379 भादवि थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।
- 2-मु0अ0सं0 177/23 धारा 307/411/414 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर राजपूत थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 1103 संजय कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 6-का0 1009 तेजेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 24.11.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

करण पुत्र रामकुमार निवासी पावटी थाना सिम्भालखा जनपद पानीपत हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री कमल सिंह थाना छपरौली ।
- 2-हो0गा0 विपिन कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 24.11.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्ण पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।